



**निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(सी.) के अन्तर्गत
25%सीट में नामांकन से संबंधित आम-सूचना**

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(सी.) के अन्तर्गत जिले के सभी गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों(अल्पसंख्यक छोड़कर) को सत्र 2026-27 में निम्न प्रावधानों के अनुरूप 25% सीट पर नामांकन किया जाना है :

- I) सत्र 2026-27 में विद्यालय की प्रवेश कक्षा में विद्यालय की नामांकन क्षमता के 25% सीट पर अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन किया जाना है।
- II) वैसे बच्चे जो विद्यालय के 1 कि.मी. की दूरी सीमा के अधीन निवास करते हों, का नामांकन किया जाना है। यदि इस दूरी सीमा में पर्याप्त बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं तो 3 से 6 कि.मी. की दूरी सीमा में निवास करने वाले बच्चों का नामांकन लिया जा सकता है।
- III) अभिवंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्ततायुक्त एवं अनाथ बच्चे तथा कमजोर वर्ग के अन्तर्गत जो अभिवंचित समूह में नहीं आते हों और जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रू0 72000/-से कम हो, का नामांकन किया जाना है।
- IV) नर्सरी/एलकेजी में नामांकन हेतु उम्र सीमा 3 वर्ष 6 माह से 4 वर्ष 6 माह के बीच एवं कक्षा 1 में नामांकन हेतु 6 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होगी। उम्र की गणना का Cut Off तिथि 31.03.2026 होगा।
- V) 25% कोटि में नामांकन हेतु कार्यालय के वेबसाइट jepsimdega.in पर ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20.04.2026 तक भरा जायेगा एवं माता-पिता/अभिभावक भरे गए आवेदन का प्रिंट निकालकर सभी दस्तावेजों को संलग्न एवं स्वअभिप्रमाणित करते हुए संबंधित विद्यालय में दिनांक 24.04.2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। कोई भी गलत प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने की सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित माता-पिता/पालक/अभिभावक की होगी। माता-पिता/अभिभावकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन एवं अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की समुचित जाँचोपरांत तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(सी.) के प्रावधानों के अनुरूप योग्य बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय में लिया जायेगा। नामांकन हेतु योग्यता एवं आवेदन करने संबंधी विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- VI) जिले में गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय जहाँ 25% सीट पर बच्चों का नामांकन लिया जाना है, की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र० सं०	विद्यालय का नाम, पता	विद्यालय की प्रवेश कक्षा, जिस पर नामांकन लिया जायेगा।	प्रवेश कक्षा में कुल नामांकन क्षमता	कुल नामांकन क्षमता का 25 प्रतिशत संख्या
1	डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, सिमडेगा।	LKG	30	7
2	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सलडेगा, सिमडेगा।	LKG	100	25
3	रामरेखाधाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उच्च विद्यालय सरखुटोली, सिमडेगा।	1	40	10
4	संत जोन्स स्कूल इंग्लिश मीडियम फरसाबेड़ा, सिमडेगा।	1	30	8
5	हिल-व्यू पब्लिक स्कूल, सिमडेगा।	LKG	60	15
6	संत मेरिज इंग्लिश मीडियम स्कूल, सामटोली, सिमडेगा।	1	90	22
7	उर्सुलाईल प्राथमिक विद्यालय, जामपानी, ठेठईटांगर	LKG	50	12
8	संत उर्सुला प्राथमिक विद्यालय, गरजा	LKG	40	10
9	डॉन बोस्को स्कूल, जामटोली	LKG	40	10
कुल			480	119

01/4/26

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा